

खबर संक्षेप

26 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

हरिभूमि न्यूज कोतमा। थाना अंतर्गत लालपुर गांव में 26 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बारे में मिली जानकारी अनुसार लालपुर गांव निवासी दुर्गाेश यादव की पत्नी राजवती यादव 26 वर्ष ने बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली पुलिस ने बताया कि गुरुवार की सुबह दस बजे थाने में सूचना मिली की महिला ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है सुबह चार बजे नृत्तिका के पति ने देखा तो परिजनों को सूचना दी। फिलहाल पुलिस मर्म कायम कर पीएम उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस आत्महत्या के कारणों के विवेचना में जुट गई है।

गबन के मामले में आरोपी को गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज कोतमा। पुलिस ने गबन करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। घटना के बारे में थाना प्रभारी रत्नाम्बर शुक्ल ने बताया कि दो फरवरी को शिकायतकर्ता दीनारायण पाण्डेय ने शिकायत दर्ज करवाई कि वह अल्टी फाइनेंस कंपनी कोतमा में ड्राव मैनेजर के पद पर पदस्थ हैं कंपनी महिलाओं को समूह के माध्यम से रूपये फाइनेंस करती है जिसे फिडल ने जाकर किस्तों की वसूली कंपनी में कार्यरत फील्ड कर्मचारियों के द्वारा वसूल किया जाता है कंपनी ने कार्यरत फील्ड आफिसर विकास पिता राजेश्वर पाण्डेय निवासी खोडरी न एक के द्वारा वसूल गये किस्त के चार लाख पचहत्तर हजार रूपए कंपनी में जमा नहीं किया गया। थाने में आरोपी विकास पाण्डेय के विरुद्ध धारा 318(4) 316(5)का कायम कर विवेचना में लिया गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। मंगलवार को सहायक उपनिरीक्षक विनय सिंह, प्रधान आरक्षक इन्द्रदेव पासी के द्वारा आरोपी विकास पाण्डेय को जरा टोला गांव से गिरफ्तार करते हुए आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल जप्त करते हुए न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जैत भेज दिया गया।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी राजनगर द्वारा पंचायत एवं वार्डों में कमेटी के गठन की बैठक संपन्न



हरिभूमि न्यूज राजनगर। राजनगर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत फुलकोना में विगत दिवस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी राजनगर द्वारा पंचायत स्तर पर कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सचिव एवं मध्यप्रदेश से सह प्रभारी चंदन यादव एवं अनूपपुर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष श्याम कुमार गुड्डू चौहान की अध्यक्षता तथा राहुल सिंह परिहार ब्लॉक अध्यक्ष राजनगर एवं राजनगर ब्लॉक के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी एवं समस्त कार्यकर्ता के उपस्थित में फुलकोना पंचायत में कांग्रेस कमेटी का गठन सर्वसम्मति से किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आने वाले दिनों में समस्त जिले के ग्राम पंचायतों के वार्डों में कांग्रेस कमेटी का गठन कर कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाएगा।

प्रभारी मंत्री ने जिले के प्रथम अटल सुशासन भवन का गोपालपुर में किया लोकार्पण



उमरिया। प्रदेश शासन के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग एवं जिला प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान ने करकेली विकास खंड के ग्राम गोपालपुर में 37.50 लाख रुपये की लागत से निर्मित अटल सुशासन भवन नवीन ग्राम पंचायत भवन का लोकार्पण किया एवं पंचायत का निरीक्षण किया। अटल सुशासन भवन में सरपंच कक्ष, सचिव कक्ष, अभिलेख कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, अतिथि कक्ष, एसीई कक्ष, स्नाककक्ष का निर्माण किया गया है। निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत गोपालपुर है। इसकी विशेषता यह है कि यह पंचायत भवन जिले का पहला अटल सुशासन भवन है। जिले में कुल 20 अटल भवन स्वीकृत किए गए हैं। इस अवसर पर विधायक बांधवगढ़ शिव नारायण सिंह, अध्यक्ष जनपद पंचायत करकेली प्रियंका मुन सिंह, कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन, सी ई ओ जिला पंचायत अमर्य सिंह, वनमंडलाधिकारी विवेक सिंह, सरपंच बेला बाई बैगा, आसुतोष अग्रवाल, सी ई ओ जनपद पंचायत करकेली प्रियंका मुन सिंह, वनमंडलाधिकारी विवेक सिंह, सरपंच बेला बाई बैगा, आसुतोष अग्रवाल, सी ई ओ जनपद पंचायत करकेली प्रियंका मुन सिंह सहित जिला प्रमुख अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

थाना रामनगर पुलिस की रात्रि कॉम्बिंग गश्त में 6 वारंटियों पर कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ मरकाम एवं एसडीओपी कोतमा नवीन तिवारी के मार्गदर्शन में थाना रामनगर पुलिस द्वारा न्यायालय के वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान चलाया गया। गत रात्रि थाना रामनगर पुलिस क्षेत्र में कॉम्बिंग गश्त के दौरान व्यापक गश्ती के तामील करते हुए कुल 03 स्थायी गिरफ्तारी वारंट, 01 वसूली वारंट (पत्नी के भरण-पोषण संबंधी) तथा 02 गिरफ्तारी वारंट तामील किए गए। स्थायी वारंटों में पप्पू चौधरी पिता अंगद चौधरी, निवासी

सरकार का लक्ष्य कृत संकल्प के साथ हो नागरिकों की हर समस्या का समाधान: प्रभारी मंत्री ग्राम गोपालपुर में संकल्प से समाधान के तहत शिविर संपन्न



सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही प्रदेश सरकार - विधायक बांधवगढ़

उमरिया।

प्रदेश सरकार की मंशा अनुसार उमरिया जिले में संकल्प से समाधान अंतर्गत क्लस्टर स्तर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविरों के माध्यम से जनता से आवेदन प्राप्त करके उनका निराकरण कि दिशा में कार्य किया जा रहा है। संकल्प से समाधान के तहत आयोजित हो रहे शिविर ग्रामीणों को हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होंगे। उक्त आशय के विचार प्रदेश शासन के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान ने करकेली विकासखंड के ग्राम गोपालपुर में आयोजित संकल्प से समाधान के तहत आयोजित शिविर को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि उमरिया जिले में पहला अटल सुशासन भवन (पंचायत भवन) ग्राम गोपालपुर में लोकार्पित किया गया है, जो क्षेत्रवासियों के लिए गौरव की बात है। यह सर्व सुविधा युक्त है। इस भवन में सरपंच कक्ष, सचिव कक्ष, सभा कक्ष, अतिथि कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि गांव गांव में पक्की सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पक्की सड़कों का जाल बिछने से ग्रामीणों का आवागमन सुगम हो गया है तथा लोगों की पहुंच बाजार एवं शहरी क्षेत्रों तक आसान हुई है जिससे ग्रामीणों के आर्थिक स्तर में भी सुधार देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि विकासखंड करकेली में 31 हजार ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास बनाने की राशि दी जा चुकी है। आवास के पक्के हो जाने पर ग्रामीणों को बरसात के दिनों में होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिल रही है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा क्लस्टर स्तर पर लगाए जा रहे संकल्प से समाधान शिविर का अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठाएं। क्लस्टर स्तर पर समाधान होने वाली समस्याओं का निराकरण यहीं किया जाएगा। ग्रामीणों को शिविर के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर लाभान्वित करने का कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक बांधवगढ़

श्री शिवनारायण सिंह ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार का संकल्प है कि ग्रामीणों की समस्याओं का ग्राम स्तर पर ही निराकरण किया जाए, इस उद्देश्य से संकल्प से समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ग्रामीणों की जिंदगी में खुशहाली लाना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। पीएम जन मन आवास योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को पक्के आवास का लाभ दिया जा रहा है। ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से लाडली बहनें सशक्त बन रही हैं। महिलाएं ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर विभिन्न उद्यमों को तैयार कर रही हैं तथा उनका विक्रय करके बेहतर ढंग से परिवार का संचालन कर रही हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने कहा कि जिले में 27 ग्राम पंचायतों में संकल्प से समाधान अभियान के तहत शिविरों का आयोजन 12 मार्च से किया जा रहा है जो अनवरत 31 मार्च तक किया जाएगा। यह शिविर 4 चरणों में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे हैं। दस क्लस्टरों को जोड़कर एक क्लस्टर बनाया गया है। शिविर के माध्यम से 100 से अधिक योजनाओं का लाभ ग्रामीणों का प्रदाय किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक 33365 में से 28766 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आसुतोष अग्रवाल ने कहा कि संकल्प से समाधान अभियान के तहत आयोजित हो रहे शिविरों से ग्रामीणों को हितग्राही मूलक योजनाओं



कि जानकारी मिलने के साथ लाभ प्रदाय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणजन शिविर तक निश्चित रूप से पहुंचें और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या पूजन के साथ किया गया। कार्यक्रम में ग्राम बिरहुलिया के नर्तक दल द्वारा लोक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। जिला प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान तथा अन्य अतिथियों ने संकल्प से समाधान अभियान के तहत आयोजित शिविर में प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा विभाग प्रमुखों द्वारा ग्रामीण जनों को उपलब्ध कराई जा रही योजनाओं के



संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम के अंत में जिला प्रभारी मंत्री सहित अन्य अतिथियों ने वृध्दावस्था पेंशन, संवर्धन योजना के तहत अनुग्रह सहायता, खतौनी का वितरण, लाडली लक्ष्मी योजना, सर्वांगिक का टीकाकरण कराने वाले हितग्राहियों को लाभान्वित किया। इस अवसर पर वनमंडलाधिकारी विवेक सिंह, सरपंच बेला बाई बैगा, आसुतोष अग्रवाल, सीईओ जनपद पंचायत करकेली ऋषभ शुक्ला सहित जिला प्रमुख अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

वन्य जीव तेंदुआ का वन परिक्षेत्र धमोखर अंतर्गत बीट रायपुर में मिला शव

उमरिया। उप संचालक बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व ने बताया कि एक वन्यजीव तेंदुआ के शव प्राप्त होने की घटना वन परिक्षेत्र धमोखर बध्प अंतर्गत बीट-रायपुर के कक्ष क्रमांक- पीएफ 173 में वन गश्ती के दौरान तेंदुआ की मृत्यु होना प्रकाश में आई है। जिस पर एनटीसीए नई दिल्ली एवं कार्यालय मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक मध्यप्रदेश, गोपाल से जारी दिशा-निर्देश अनुरूप त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना स्थल को सुरक्षित किया गया व डॉग स्क्वाड तथा मेटल डिटेक्टर की सहायता से घटना स्थल एवं उसके आस-पास छानबीन की कार्यवाही की गई। प्रथम दृष्टया वन्यजीव तेंदुआ की मौत अन्य मानसहारी वन्यप्राणी के द्वारा आपसी संघर्ष के कारण होना पाया गया। मृत तेंदुआ के शरीर के सभी अंग सुरक्षित पाये गये। प्रकरण में शेष जांच कार्यवाही प्रचलित है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा में स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में भगवान भरोसे संचालित स्वास्थ्य

विशेषज्ञ चिकित्सकों का अभाव, आए दिन आ रही विवाद की नौबत

हरिभूमि न्यूज कोतमा।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा अंतर्गत स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चौपट नजर आ रही है कहने को तो मंत्री दिलीप जायसवाल का विधानसभा क्षेत्र है और यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे संचालित की जा रही है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा अंतर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों का अभाव है इन केन्द्रों की स्थापना के बाद भी विशेषज्ञों के पद खाली पड़े हैं जिससे 2 लाख 36 हजार की आबादी जिसमें 130 गांव आते हैं वह केवल बुनियादी प्राथमिक उपचार पर निर्भर है। बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूर्व से संचालित है। 30 बिस्तर क्षमता वाले स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ चिकित्सक के साथ सर्जन जैसे पदों की पदस्थापना है। 130 गांव की करीब दो लाख छत्तीस हजार आबादी में गिनती के ही चिकित्सक हैं वह भी चिकित्सा अधिकारी व संविदाधारी चिकित्सक शामिल हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक न होने से उन्हें सीधे कटनी शहडोल के साथ जबलपुर रेफर किया जाता है। डॉक्टर ना होने से आए दिन विवाद की नौबत आ रही है। ज्यादातर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर ही नहीं हैं वहां भगवान भरोसे चिकित्सा व्यवस्था संचालित की जा रही है।



ये है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत आठ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिनमें निगवानी, बेलिया बड़ी, बिजुरी, राजनगर, मलगा, पसान, पयारी, चोडी पोड़ी के साथ ही 46 उप स्वास्थ्य केंद्र एवं दो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हो रहे हैं।

आठ डाक्टरों के भरोसे स्वास्थ्य व्यवस्था

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत विषय विशेषज्ञ के साथ ही 34 डॉक्टरों की पदस्थापना हो चुकी है लेकिन वर्तमान में आठ डॉक्टरों के भरोसे ही स्वास्थ्य व्यवस्था संचालित की जा रही है।

ये है पदस्थ

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा में डॉक्टर केएल दीवान जो खंड चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं, डॉक्टर गणेश प्रजापति निरामित, डॉक्टर आनंद विश्वकर्मा, डॉक्टर बेबी नाज, डॉ विकास पांडे, डॉ अनुराग सिंह संविदा को कोतमा में अटैचमेंट किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटी में पदस्थ डाक्टर योगेश धनवार को बिजुरी स्वास्थ्य केंद्र में अटैच किया गया है जिसके कारण कोटी सामुदायिक स्वास्थ्य



केंद्र खाली है इसके साथ ही निगवानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बांड में आये डाक्टर चारु जैन को पदस्थ किया गया है। पयारी में आयुष चिकित्सक डाक्टर शशिकांत चौधरी की पदस्थापना की गई है पसान स्वास्थ्य केंद्र में डाक्टर विपिन प्रसाद की पदस्थापना है लेकिन उन्हें कोतमा बुला लिया जाता है मलगा स्वास्थ्य केंद्र में डाक्टर कमलेश अग्रिया की पदस्थापना की गई है। राजनगर बेलिया बड़ी में चिकित्सक ही नहीं है जिसके कारण स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे संचालित की जा रही है।

किया जा रहा रिफर

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा अंतर्गत कोतमा नगर पालिका क्षेत्र की आबादी लगभग 32 हजार पार कर चुकी है जबकि पूरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत यह आंकड़ा 236000 के करीब है। इसके बावजूद अस्पताल में अटैचमेंट चिकित्सकों से काम चलाया जा रहा है। सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ जैसे महत्वपूर्ण पदों के रिक्त होने से गंभीर मरीजों को जिला चिकित्सालय अनूपपुर, शहडोल

लंबे समय से की जा रही गंग

लंबे समय से नागरिकों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विषय विशेषज्ञ डॉक्टर के साथ ही अन्य डॉक्टरों की मांग की जा रही है



सेमरा धारा 13 जुआ एक्ट, पूरन प्रसाद उर्फ गंगा कॉल पिता सोहनलाल कॉल, निवासी राम मंदिर धारा 323, 506, 34 भादवि, सम्राट कॉल पिता शंकर कॉल, निवासी आरटीओ बैरियर रामनगर धारा 13 जुआ एक्ट, वसुली वारंटी में भुवनेश्वर केवट पिता लोकनाथ केवट, निवासी आमडाड (पत्नी के भरण-पोषण संबंधी प्रकरण), गिरफ्तारी वारंट में रवि प्रकाश केवट पिता सुंदरलाल केवट, निवासी रेजडा धारा 13 जुआ एक्ट, छबलु बंसल पिता भोगीलाल बंसल, निवासी आमडाड धारा 13 जुआ एक्ट, उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सुमित कौशिक, एसएसआई विनोद नाथ, एचसी खलसी, आरक्षक अमित पटेल, अनुराग मार्गव, अनुराग सिंह, भागुप्रताप एवं सुशील की जरूरतनीय भूमिका रही।

लेकिन शासन के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

मंत्री के क्षेत्र में हाल बेहाल

कहने को तो कोतमा विधानसभा क्षेत्र से दिलीप जायसवाल को मध्य प्रदेश शासन में मंत्री पद से नवाजा गया है लेकिन उनके ही विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा भगवान भरोसे संचालित हो रही है इतना ही नहीं उनके गृह नगर बिजुरी में तो स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर ही नहीं है कोटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर योगेश धनवार को अटैच करते हुए काम चलाया जा रहा है।

इनका कहना है

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टरों की कमी को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को पत्राचार किया जा रहा है। कई जगह डॉक्टर के पद रिक्त है आसपास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टरों को अटैचमेंट करते हुए काम चलाया जा रहा है।

डाक्टर के यल दीवान खंड चिकित्सा अधिकारी कोतमा

खबर संक्षेप

अवैध संबंध के शक में हुई हत्या का खुलासा



बदर/जमुना। मालूमदा थाना पुलिस ने अंधी हत्या के मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोती-र-रहमान के निदेशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगनाथ सिंह मरकाम एवं एसडीओपी कोतमा के मार्गदर्शन में की गई। जानकारी के अनुसार 11 जनवरी को ग्राम पंचायत दरसागर के सरपंच द्वारा मोबाइल से सूचना दी गई कि ग्राम दरसागर में खेत के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव और मोटरसाइकिल पड़ी है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मालूमदा उप निरीक्षक विपुल शुक्ला अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच में सिहराखर स्थित श्यामसुंदर प्रजापति के खेत में एक व्यक्ति का शव मिला, जिसके सिर पर किसी भारी औजार से नग्न चोट के निशान थे। मौके पर मिले मोबाइल फोन के आधार पर मृतक का पहचान शोभा नामदेव (50) निवासी वार्ड क्रमांक 11, बरकाई नंबर 3 मालूमदा के रूप में हुआ। मृतक के पुत्र अजय नामदेव की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 15/2026 धारा 103 (1) बीएफएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और साइबर सेल की मदद से मोबाइल नंबरों की टाकर लोकेशन व सीडीआर का विश्लेषण किया। जांच के दौरान प्रीतम केवट (42) निवासी ग्राम पौडी अरं टोला तथा रोहित केवट (40) निवासी ग्राम चौडी थाना मालूमदा पर संदेह हुआ। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि मृतक शोभा नामदेव का प्रीतम केवट के घर आना-जाना था और उसके घर की महिलाओं से अवैध संबंध होने का शक था। कई बार मना करने के बावजूद मृतक नहीं माना, जिससे नाराज होकर दोनों आरोपियों ने योजना बनाकर उसे मरोड़े में लेकर वटनस्थल पर बुलाया और लोहे की रॉड से सिर पर वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों को निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड तथा मोटरसाइकिल जप्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी मालूमदा उप निरीक्षक विपुल शुक्ला, गुरु चतुर्वेदी, महिपाल प्रजापति, कुपाल सिंह तथा सुप्रिया त्रिपाठी की सराहनीय भूमिका रही।

आपदा प्रबंधन एवं बोरवेल रेस्व्यू का जिला स्तरीय प्रशिक्षण जैतहरी में संपन्न

अनूपपुर। मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह विभाग तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण एवं क्षमता वृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को जलपट्ट पंचायत जैतहरी में विशेष प्रशिक्षण एवं मॉकड्रिल का आयोजन होमागड विभाग अनूपपुर के नेतृत्व में किया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर रिसर्चिंग टीम की क्षमता को सुदृढ़ करना है, ताकि आपदा की स्थिति में जन-धन की हानि को न्यूनतम किया जा सके।

अनूपपुर। मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह विभाग तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण एवं क्षमता वृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को जलपट्ट पंचायत जैतहरी में विशेष प्रशिक्षण एवं मॉकड्रिल का आयोजन होमागड विभाग अनूपपुर के नेतृत्व में किया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर रिसर्चिंग टीम की क्षमता को सुदृढ़ करना है, ताकि आपदा की स्थिति में जन-धन की हानि को न्यूनतम किया जा सके।

नगरीय विकास के कार्य निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप पूरे किए जाएं-कलेक्टर



अमृत-2.0 और पीएम आवास योजना के कार्यों में तेजी लाने कलेक्टर ने दिए निर्देश

अनूपपुर। कलेक्टर हर्षल पंचोली ने बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में जिले के नगरीय निकायों के संचालित विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सिविल वर्क मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से प्रारंभ, अप्रारंभ एवं प्रगतिरत निर्माण कार्यों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि लिंबित एवं अप्रारंभ कार्यों को शीघ्र प्रारंभ किया जाए और प्रगतिरत कार्यों में तेजी लाकर उन्हें निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराया जाए। उन्होंने कहा कि सभी विकास कार्य शासन द्वारा निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता के अनुरूप पूरे किए जाएं। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के सभी नगरीय निकायों के निर्माण कार्यों की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से

अनूपपुर स्टेशन पर बोर्ड में शौचालय-स्नानागार, लेकिन बाथरूम नदारद गति शक्ति का 'गजब कारनामा'



मध्यप्रदेश के अनूपपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के नाम पर चल रहे कार्य अब सवाल के घेरे में हैं। प्लेटफॉर्म पर लगे बोर्ड में "पे एंड यूज शौचालय एवं स्नानागार" लिखा है, लेकिन अंदर बाथरूम ही नहीं है। इतना ही नहीं, स्टेशन के नाम की स्पेलिंग तक गलत लिखी गई है। इससे रेलवे प्रशासन और ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। अनूपपुर रेलवे स्टेशन पर पिछले चार-पांच महीनों से नवीनीकरण और

जानसुविधाओं के नाम पर कार्य चल रहा है। बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म पर बनाए जा रहे पे एंड यूज शौचालय और स्नानागार के निर्माण की जिम्मेदारी भारतीय रेल के गति शक्ति विभाग से जुड़ी एजेंसी के पास है। लेकिन निर्माण कार्य में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आ रही हैं। बोर्ड पर भुवनेश्वर स्टाइन का आधुनिक शौचालय और स्नानागार लिखा गया है, जबकि अंदर बाथरूम की व्यवस्था ही नहीं दिखाई दे रही। वहीं प्लेटफॉर्म पर लगे फ्लेक्स बोर्डों में स्टेशन का नाम भी गलत लिखा गया है, कहीं "अनूपपुर" तो कहीं "अनूपूर" लिखा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह केवल छोटी गलती नहीं बल्कि रेलवे जैसी प्रतिष्ठित संस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वाली स्थिति है। सबसे बड़ा सवाल

यह है कि महीनों से चल रहे कार्य के दौरान रेलवे अधिकारियों की नजर इन गलतियों पर क्यों नहीं पड़ी और अब तक इन्हें सुधारा क्यों नहीं गया। बोर्ड में शौचालय-स्नानागार, अंदर कुछ नहीं प्लेटफॉर्म पर लगाए गए बोर्ड में साफ लिखा है कि यहां पे एंड यूज शौचालय और स्नानागार की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन जब यात्री अंदर जाते हैं तो वहां बाथरूम की व्यवस्था ही नहीं मिलती। इससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि यदि निर्माण पूरा नहीं हुआ था तो बोर्ड लगाने की क्या जल्दबाजी थी।



का नाम भी गलत लिखा गया है। कहीं "अनूपूर" तो कहीं "अनूपुर" लिखा दिखाई देता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे जैसे बड़े संस्थान में इस तरह की गलती बेहद शर्मनाक है। यदि अधिकारियों ने निर्माण से पहले दस्तावेजों की जांच कर ली होती तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। शिकायतों के बावजूद नहीं हुआ सुधार

स्थानीय लोगों के अनुसार इस संबंध में कई बार ठेकेदार और रेलवे अधिकारियों को शिकायत की जा चुकी है। बावजूद इसके अब तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। लोगों का आरोप है कि कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी अपनी गलती सुधारने के बजाय बहानेबाजी कर रही है और जिम्मेदार अधिकारी भी

बिजुरी पुलिस की सक्रियता से साइबर फ्रॉड के 60 हजार रुपये पीड़ित को वापस



हरिभूमि न्यूज, बिजुरी। जिले में साइबर अपराध के मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए बिजुरी पुलिस ने एक पीड़ित को बड़ी राहत दिलाई है। अज्ञात साइबर ठगों द्वारा ऑनलाइन धोखाधड़ी कर निकाली गई राशि में से करीब 60 हजार रुपये वापस दिलाने में पुलिस की सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोती उर रहमान द्वारा साइबर धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित प्रतिक्रिया की मानक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसी निर्देश के तहत शिकायत

मिलते ही संबंधित थाने द्वारा तत्काल सूचना दर्ज कर फ्रॉड से गई राशि को होल्ड कराने की कार्रवाई की जाती है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगनाथ मरकाम एवं एसडीओपी कोतमा नवीन तिवारी के मार्गदर्शन में थाना बिजुरी पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार 14 जनवरी 2026 को बिजुरी निवासी नियती देवानी ने थाना बिजुरी में शिकायत दर्ज कराई कि अज्ञात साइबर ठगों ने ऑनलाइन धोखाधड़ी कर उनके बैंक खाते से 88,825 रुपये निकाल लिए हैं। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को साइबर हेल्पलाइन 1930 तथा साइबर पोर्टल पर दर्ज कर संबंधित बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से समन्वय स्थापित किया और संदिग्ध खाते को फ्रीज कराया। त्वरित कार्रवाई के चलते ठगी गई राशि में से लगभग 60 हजार रुपये होल्ड करा लिए गए। इसके बाद विधिक प्रक्रिया पूरी कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से पीड़ित को होल्ड की गई राशि वापस करने के आदेश जारी हुए। इस प्रकार बिजुरी पुलिस की सक्रियता से पीड़ित को बड़ी राहत मिली है। इस कार्रवाई में निरीक्षक विकास सिंह, उप निरीक्षक मानिम टोप्पो, आरक्षक आनंद कुमार, रवि सिंह तथा साइबर सेल अनूपपुर से पंकज मिश्रा की महत्वपूर्ण भूमिका है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अज्ञात कॉल, लिंक या लालच में आकर अपनी बैंक संबंधी जानकारी, ओटीपी या पासवर्ड साझा न करें। साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं।

पानी बेचने वाली कंपनियों की हो गुणवत्ता जांच

नियमों की अनदेखी कर सप्लाई हो रहा अमानक पानी

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर में बोतलबंद और पैकड पेयजल बेचने वाली कई कंपनियों की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि बिना मानकों का पालन किए पानी पैक कर शहर में बेचा जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले में पैकड पेयजल का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही पानी की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल भी सामने आने लगे हैं। शहर में कई निजी संचालक बिना पर्याप्त जांच और मानकों का पालन किए पानी पैक कर बाजार में बेच रहे हैं। जानकारों का कहना है कि गंदे या दूषित पानी के उपयोग से हैजा, डायरिया और अन्य जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसके बावजूद संबंधित विभागों द्वारा नियमित जांच नहीं की जा रही है। कई स्थानों पर पानी के पाउच और बोतलों में पैक कर खुलेआम बिक्री का जराही है, लेकिन इन प्लांटों में साफ-सफाई और शुद्धिकरण की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय रहते इन प्लांटों की जांच नहीं की गई तो यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग को तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी जल पैकेजिंग इकाइयों की गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करनी चाहिए।



खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनिवार्य है लाइसेंस

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार पैकड पेयजल का उत्पादन और बिक्री करने वाली सभी इकाइयों के पास वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस या पंजीयन के पानी का उत्पादन और बिक्री करना कानूनन अपराध है। साथ ही उत्पादन इकाई को साफ-सफाई और गुणवत्ता मानकों का पालन करना भी जरूरी है।

बीआईएस प्रमाणन जरूरी

पैकड पेयजल और मिनरल वाटर बेचने वाली कंपनियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाणन अनिवार्य माना गया है। बीआईएस द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ही पानी का शुद्धिकरण और पैकेजिंग की जानी चाहिए। यदि कोई कंपनी बिना बीआईएस प्रमाणन के पानी बेचती है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। निर्माण और एक्सपयरी तिथि लिखना अनिवार्य पैकड पानी की बोतलों और पाउच पर निर्माण तिथि, एक्सपयरी तिथि, बैच नंबर और निर्माता

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनिवार्य है लाइसेंस

का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। यह जानकारी उपभोक्ता को उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा के बारे में जानकारी देती है। यदि यह जानकारी नहीं दी जाती तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाता है।

नियमित लैब टेस्ट जरूरी

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार पैकड पानी का समय-समय पर लैब परीक्षण किया जाना चाहिए। इसमें बैक्टीरिया, रासायनिक तत्व और अन्य हानिकारक पदार्थों की जांच की जाती है। यदि पानी मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता तो उस प्लांट का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।

प्रशासन की जिम्मेदारी

खाद्य सुरक्षा विभाग और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे शहर में संचालित सभी पैकड पेयजल इकाइयों की नियमित जांच करें। यदि कोई कंपनी नियमों का उल्लंघन करते हुए अमानक पानी बेच रही है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इससे न केवल उपभोक्ताओं का स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा बल्कि बाजार में गुणवत्ता मानकों का पालन भी सुनिश्चित होगा।

1008 श्री आदिनाथ भगवान जन्म कल्याणक महोत्सव उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया

अमरकंटक। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन, धार्मिक एवं आध्यात्मिक तीर्थस्थल पवित्र नगरी अमरकंटक स्थित दिगंबर जैन सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र जैन मंदिर में प्रथम तीर्थकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव वैद्य कृष्ण पक्ष नवमी, मूल नक्षत्र के पावन अवसर पर अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ परंपरागत विधि-विधान से मनाया गया। इस अवसर पर जैन समाज के श्रद्धालुओं ने भगवान आदिनाथ के दिव्य गुणों का स्मरण करते हुए पूजन-अर्चना एवं आराधना की। महोत्सव के अंतर्गत प्रातःकाल से ही जैन मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत हो गई। प्रातः 8 बजे भगवान आदिनाथ का महा मस्तकामिषेक श्रद्धालुओं द्वारा अत्यंत श्रद्धा भाव से संपन्न किया गया। भक्तों ने पवित्र जल, पंचामृत एवं विभिन्न पवित्र द्रव्यों से भगवान का अभिषेक कर मंगलकामनाएं कीं। इसके पश्चात प्रातः 8-30 बजे शक्ति धारा का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व शांति, समाज की सुख-समृद्धि एवं जनकल्याण की प्रभावी कामनाएं



की गई। अगले चरण में आयोजित धार्मिक विधान कार्यक्रम में जैन समाज के श्रद्धालुओं ने भगवान आदिनाथ के दिव्य गुणों का स्मरण करते हुए पूजन-अर्चना एवं आराधना की। महोत्सव के अंतर्गत प्रातःकाल से ही जैन मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत हो गई। प्रातः 8 बजे भगवान आदिनाथ का महा मस्तकामिषेक श्रद्धालुओं द्वारा अत्यंत श्रद्धा भाव से संपन्न किया गया। भक्तों ने पवित्र जल, पंचामृत एवं विभिन्न पवित्र द्रव्यों से भगवान का अभिषेक कर मंगलकामनाएं कीं। इसके पश्चात प्रातः 8-30 बजे शक्ति धारा का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व शांति, समाज की सुख-समृद्धि एवं जनकल्याण की प्रभावी कामनाएं

प्रदेश के अनूपपुर, बुंदार, धनपुरी और शहडोल सहित विभिन्न स्थानों से सैकड़ों की संख्या में जैन समाज के श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान पेड़ा निवासी विठिन जैन ने 35,000 रुपये की बेली लगाकर भगवान आदिनाथ का महा मस्तकामिषेक, शांति धारा एवं विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। समस्त पूजन-अर्चना की विधियां मंदिर के पुजारी दया जैन द्वारा विधिपूर्वक संपन्न कराई गईं। इस मध्य धार्मिक आयोजन को सफल बनाने में देवेंद्र जैन, चिन्मू जैन, अभिषेक जैन, प्रकाशचंद्र जैन, गौरव जैन, राकेश जैन, संदीप जैन, पंकज जैन, आदित्य जैन, अनुज जैन, सुनील जैन, सुशील जैन, सोमू जैन, मौजू जैन, मिलेश जैन, प्रशांत जैन, महेश जैन, वीरेंद्र जैन सहित जैन समाज के अनेक सदस्यों का उल्लेखनीय एवं सराहनीय योगदान रहा। संस्था काल में भगवान आदिनाथ की महा आरती का आयोजन किया गया,

जिसके पश्चात जबलपुर की खुशी जैन द्वारा भक्ति एवं संगीत से परिपूर्ण संगीतमय प्रस्तुति दी गई। पूरे दिन जैन मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, चहल-पहल और भक्तिमय वातावरण बना रहा।

जन अभियान परिषद अंतर्गत ग्राम थानगांव में प्रस्फुटन समितियों का प्रशिक्षण सम्पन्न



अनूपपुर। जन अभियान परिषद अंतर्गत ग्राम पंचायत थानगांव के पंचायत भवन में ग्राम स्तर पर कार्यरत समितियों के सदस्यों की कार्यक्षमता बढ़ाने, ग्राम विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने तथा परिषद की योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से प्रस्फुटन समितियों का क्षमतावर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन सारथी पर्यावरण संरक्षण एवं जनकल्याण संस्था द्वारा किया गया। प्रशिक्षण के दौरान जनभागीदारी, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, सामाजिक समरसता और जनकल्याण से जुड़े विषयों पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में परिषद की योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने एवं ग्राम विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया।

अनूपपुर। जन अभियान परिषद अंतर्गत ग्राम पंचायत थानगांव के पंचायत भवन में ग्राम स्तर पर कार्यरत समितियों के सदस्यों की कार्यक्षमता बढ़ाने, ग्राम विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने तथा परिषद की योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से प्रस्फुटन समितियों का क्षमतावर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन सारथी पर्यावरण संरक्षण एवं जनकल्याण संस्था द्वारा किया गया। प्रशिक्षण के दौरान जनभागीदारी, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, सामाजिक समरसता और जनकल्याण से जुड़े विषयों पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में परिषद की योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने एवं ग्राम विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया।

प्रथम जिला न्यायाधीश कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.)

Presiding Officer : श्री गणेश दुबे (अदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु) (RCS 42/2025)

अशोक कुमार गौतम Vs प्राधिकृत अधिकारी सेंट्रल बैंक

Process Id- 2026 पेशी दिनांक :- 6/04/2016

यह कि प्रार्थी अशोक कुमार गौतम ने आपके विरुद्ध व्यवहारवाद के लिए वाद सारिखत किया है, वादी, प्राधिकृत अधिकार सेंट्रल बैंक इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय 601 नैपियर टाउन जबलपुर म.प्र. एवं अमर केशरवानी पिता रम. रामचरण केशरवानी एवं अतिता केशरवानी पति अमर केशरवानी दोनों निवासी हाल पुलिस लाइन शहडोल जिला शहडोल म.प्र. के निवासी है, जिसके संबंध में घोषणा वाही गई है। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अधिध में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो कार्यरत समितियों के सदस्यों की कार्यक्षमता बढ़ाने, ग्राम विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने तथा परिषद की योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से प्रस्फुटन समितियों का क्षमतावर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन सारथी पर्यावरण संरक्षण एवं जनकल्याण संस्था द्वारा किया गया। प्रशिक्षण के दौरान जनभागीदारी, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, सामाजिक समरसता और जनकल्याण से जुड़े विषयों पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में परिषद की योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने एवं ग्राम विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया।

प्रथम जिला न्यायाधीश, कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.)

कृपया ध्यान दें - यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अपनी कार्य दिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।